सप्तदश

# बिहार विधान सभा

## चतुर्दश सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 29 फाल्गुन, 1946 (श०) / 20 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

| | | |
|---|---|---|
| (1) | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग .. .. | 01 |
| | कुल योग -- | 01 |

आर्सेनिक पदार्थों की रोकथाम

''क''-2. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''पानी ही नहीं, अब धान गेहूँ और आलू में भी मिल रहा आर्सेनिक'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भूगर्भीय जल का आर्सेनिक सिंचाई के माध्यम से फसलों और उनके पैदावार द्वारा आमजनों तक पहुँच रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पीने योग्य पानी में 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिये परन्तु सिंचाई द्वारा मानक से ज्यादा धान में 821, गेहूँ में 775 और आलू में 1450 ग्राम आर्सेनिक की मात्रा होने से आमजन कैंसर रोग का शिकार हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खाद्य एवं पेय पदार्थों में आर्सेनिक के रोकथाम हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

---

नोट--''क''-दिनांक 5 मार्च, 2025 को सदन द्वारा लघु जल संसाधन विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थानान्तरित ।

-------

पटना :
दिनांक 20 मार्च, 2025 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 95(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025